रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 980] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2014/वैशाख 11, 1936
No. 980] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2014/VAISAKHA 11, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2014

का.आ. 1187(अ).—केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितंबर, 1996 द्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए एक प्राधिकरण, अर्थात् पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण का गठन किया था; और

माननीय न्यायमूर्ति पी. भास्करन, जिन्हें अधिसूचना सं. का.आ. 710(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 1996 द्वारा पूर्वोक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ने उक्त अध्यक्ष पद से मुक्त किए जाने के लिए अनुरोध किया है; और

सरकार ने उक्त पद से मुक्त किए जाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति पी.भास्करन के अनुरोध पर विचार कर लिया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, माननीय न्यायमूर्ति पी.भास्करन को तारीख 30 अप्रैल, 2014 (पूर्वाह्न) से पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से मुक्त करती है ।

[फा. सं. जेड-20018/9/2014-सीपीए]

डा. राशिद हसन, सलाहकार (सीपी)

टिप्पण :—पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण का गठन करने वाली मूल अधिसूचना, सं. का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितंबर, 1996 द्वारा जारी की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2014

S.O. 1187(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), constituted an Authority, namely, the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu vide notification number S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996; and

Whereas, Hon'ble Justice P. Bhaskaran who was appointed as Chairperson of the above mentioned Authority vide notification number S.O. 710(E), dated the 12th October, 1996 and has requested for being relieved from the said Post of Chairperson; and

Whereas, the Government has considered the request of Hon'ble Justice P. Bhaskaran for being relieved from the said post;

Now, therefore, the Central Government hereby relieves Hon'ble Justice P. Bhaskaran from the post of Chairperson, Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority with effect from 30th April, 2014 (forenoon).

[F. No. Z-20018/9/2014-CPA]

Dr. RASHID HASAN, Advisor (CP)

Note:—The principal notification constituting the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority was issued *vide* No. SO 671(E), dated the 30th September, 1996.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.